133

बिहार सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

कनीय अभियंता (असैनिक/यौंत्रिक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियन्ता(असैनिक / यौंत्रिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध कनीय अभियन्ता(असैनिक / यौंत्रिक) की संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

1.(क) रिक्तिः–

पद का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
कनीय अभियंता (असैनिक)	129	50 (17 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	28 (8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	32 (12 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	06	13 (4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)
कनीय अभियंता (यौंत्रिक)	50	27 (09 पद महिलाओं के लिए आरक्षित	04 (01 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	01	07 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	04 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	02	05 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)

(ख) कनीय अभियंता (असैनिक) बैकलॉग की रिक्ति–

पद का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला
कनीय अभियंता (असैनिक)	21	08 (03 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	08 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	05

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है ।

2. **आरक्षणः–** राज्य सरकार के आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा ।
3. **पारिश्रमिकः–** जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0–5494 दिनांक–06.11.2014 द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक ₹27,000(सत्ताईस हजार) प्रतिमाह देय होगा । इसमें समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा ।
4. **शैक्षणिक योग्यता / अहर्ताएँ :–** AICTE से मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय संस्थान से (असैनिक / यौंत्रिक) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो अथवा Deemed University under UGC Act द्वारा निर्गत Non-Distance Mode Diploma in Civil/ Mechanical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता ।
5. **उम्र सीमाः–** दिनांक–01.08.2019 को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए । अधिकतम आयु–(अनारक्षित(पुरूष)–37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग(पुरूष एवं महिला)–40 वर्ष (3) अनारक्षित (महिला)–40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष । सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक–05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट अनुमान्य होगी।
6. **नियोजन अवधि'–** संविदा के आधार पर नियोजन अवधि, नियोजन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (दोनों में से जो पहले हो) की होगी ।
7. **चयन की प्रक्रिया–** डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक एवं कार्यानुभव के लिए अनुमान्य अंक के आधार पर चयन किया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://minorirrigation.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।
8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है । विभाग Empanelment की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार धारित करता है ।
9. विभागीय पोर्टल पर दिनांक–09.01.2020 से 31.01.2020 तक 4 :00 बजे अपराह्न तक ऑनलाईन आवेदन पत्र (अनुलग्नक सहित) Upload किया जा सकेगा ।
10. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://minorirrigation.bihar.gov.in देखा जा सकता है ।
11. Online आवेदन भरने की प्रक्रिया निम्नरूपेण होगीः–

11.1 Online आवेदन भरने हेतु लिंक विभागीय वेबसाईट http://minorirrigation.bihar.gov.in पर उपलब्ध है । उपलब्ध कराये गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् Online recruitment पोर्टल open हो जायेगा । तत्पश्चात् अभ्यर्थी "Click here to Apply Online" लिंक पर क्लिक करेंगे ।

11.2. Online आवेदन भरने हेतु सर्वप्रथम पोर्टल पर अभ्यर्थी का registration किया जाना अनिवार्य है । इस हेतु अभ्यर्थी पोर्टल के login Page पर उपलब्ध "New registration" लिंक पर क्लिक करेंगे ।

11.3. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई–मेल पर रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा । इस आई0डी0 एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन (login) करेंगे ।

11.4. पोर्टल पर लॉगिन (login) करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा यथा वांछित पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार Document Upload करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

11.5. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु Photo का साईज 50 KB से कम होना चाहिए । इसके लिए अभ्यर्थी रंगीन Photo को JPG फॉर्मेट में 200 x230 pixels में Save कर लेंगे ।

11.6. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु Signature का साईज 20 KB से कम होना चाहिए । इसके लिए अभ्यर्थी Signature को JPG फॉर्मेट में 140 x60 pixels में Save कर लेंगे ।

11.7 प्रत्येक Scanned documents का Size 400 KB से कम होना चाहिए है । इसके लिए अभ्यर्थी document को black & white mode में अधिकतम 300 dpi पर pdf फॉर्मेट में Scan कर Save कर लेंगे ।

11.8 Application Form को भरने के दौरान form को Draft के रूप में Save करने के लिए save button का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

11.9 Online आवेदन को Final Submit करने से पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है । एक बार Application Form को Final submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में Application Form में सुधार / Edit का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

11.10 आवेदन भरने के दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो अभ्यर्थी login page पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से Online request कर सकता है ।

11.11 आवेदन के Final Submission के पश्चात् Application ID generate होगा जो आवेदन के ऊपर अंकित होगा । केवल Finally Submitted आवेदन ही स्वीकार किये जाएँगे ।

11.12 अभ्यर्थी आवेदन के Final Submission के पश्चात् उसकी एक प्रति प्रिंट कर भविष्य के लिए रख लेंगे ।

11.13 आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

विस्तृत जानकारी के लिए www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

सरकार के विशेष सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

PR. 13432 (M W R) 2019-20 स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाएँ, 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाएँ

लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक) के स्थायी रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन –

लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्यवन के निमित्त कनीय अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित तथा विशेष परिस्थिति में लघु जल संसाधन विभाग में स्थायी एवं रिक्त पदों के विरूद्ध एक वर्ष के लिए अथवा नियमित नियुक्ति किये जाने तक संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने हेतु वांछित योग्यताधारकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र लघु जल संसाधन विभाग की बेवसाइट http://minorirrigation.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।

1. (क) रिक्ति:–

पद का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
कनीय अभियंता (असैनिक)	129	50 (17 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	28 (8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	32 (12 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	06	13 (4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)
कनीय अभियंता (यॉंत्रिक)	50	27 (09 पद महिलाओं के लिए आरक्षित	04 (01 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	01	07 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	04 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	02	05 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)

(ख) कनीय अभियंता (असैनिक) बैकलॉग की रिक्ति–

पद का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला
कनीय अभियंता (असैनिक)	21	08 (03 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	08 (02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित)	00	05

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

1. **अहर्ताएँ** :– इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ निम्नवत होगी :–
   (i) सरकार के विशेष आदेश को छोड़कर अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है ।
   (ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग (असैनिक/यॉंत्रिक) के लिए अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी ।
   (iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/अहर्ता:–
   (क) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत (असैनिक/यॉंत्रिक) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो, अथवा
   (ख) Deemed University under UGC Act द्वारा निर्गत Non-Distance Mode Diploma in Civil/ Mechanical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता ।

2. **उम्र सीमा**:– उम्र सीमा दिनांक– 01.08.2019 को
   (i) न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
   (ii) अधिकतम आयु –
   अनारक्षित पुरूष के लिए – 37 वर्ष
   अनारक्षित महिला के लिए – 40 वर्ष
   पिछड़ वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) के लिए – 40 वर्ष
   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए – 42 वर्ष
   (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक–05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट अनुमान्य होगी।

3. **पारिश्रमिक**:– संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियन्ताओं (असैनिक/यॉंत्रिक) को जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0–5494 दिनांक–06.11.2014 द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक ₹27,000(सत्ताईस हजार) प्रतिमाह अथवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमान्य अनुमोदित दरों पर भुगतान किया जायेगा ।

4. **शर्तें** :–
   (क) संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष अथवा बिहार तकनीकी सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक, में से जो पहले हो, के लिए की जाएगी।
   (ख) ऐसे नियोजित कनीय अभियंता सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx

(ग) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो तो ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा । इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(घ) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभयपक्षों द्वारा एक माह की पूर्व की सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(च) ऐसे नियोजित कनीय अभियन्ताओं को सरकार द्वारा समय–समय पर संविदा कर्मियो के लिए निर्धारित सुविधाएँ, छुट्टी इत्यादि देय होगी ।

(छ) नियोजन से पूर्व नियमानुसार आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सा (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा ।

(ज) नियोजन की स्वीकृति एकरारनामा के आधार पर की जायेगी । इसके लिए संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को लघु जल संसाधन विभाग के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा जिसकी स्वीकृति एवं अस्वीकृति का सर्वाधिकार लघु जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

(झ) लघु जल संसाधन विभाग में पूर्व में नियोजित कनीय अभियन्ता (असैनिक / यॉंत्रिक) जो बिना औपचारिक सूचना के पदत्याग कर चुके हैं अथवा विभाग द्वारा उनका नियोजन समाप्त किया जा चुका है वे इसके लिए पात्र नहीं है ।

(ञ) कनीय अभियन्ता (असैनिक / यॉंत्रिक)पद के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही बार आवेदन दे सकेंगे । एक अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन स्वीकृत होगा । एक से ज्यादा आवेदन किये जाने पर आवेदन रद्द माना जायेगा ।

(ट) संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरूद्ध संविदा शर्त्तों के उल्लंघन के आरोप में सम्यक कार्रवाई के लिए लघु जल संसाधन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा ।

5. <u>चयन की प्रक्रिया</u> –

(1) इस सवंर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक / यॉंत्रिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम / निगम / निकाय / प्राधिकार / स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक / यॉंत्रिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हत्ता पूरी करते है, को चयन में इस नियम के उप नियम–(2) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जायेगी ।

पूर्णांक

(क) (i) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर – 75 अंक

(ii) वैसे अभ्यर्थी जिनका असैनिक / यॉंत्रिक डिप्लोमा, Grade Point में प्रदत्त है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रावधानों के आलोक में Grade Point को Equivalent Percentage में निम्न Formula के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा ।

Percentage = (Grade Point - 0.75) x 10

(i) अथवा (ii) द्वारा प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के लिए प्वांइट की गणना निम्न प्रकार होगी–
डिप्लोमा योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक) x 0.75

(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के अनुभव के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश – 25 अंक

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx

के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)

कुल– 100 अंक

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ–डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी ।

असैनिक/यॉंत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियन्ता (असैनिक/यॉंत्रिक) के रूप में नियोजन निम्नलिखित विधि से की जायेगी–

(क) बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/यॉंत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015 के नियम–5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी जिन्हें आरक्षण कोटिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा ।

(ख) शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार इस विज्ञप्ति में अंकित पदों से संबंधित संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के तहत निर्धारित योग्यता/अर्हता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर की जायेगी ।

(ग) कंडिका–(ख) के रिक्त पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् अवशेष मेधा सूची के आधार पर कंडिका (क) के आरक्षित पदों को राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जायेगा ।

6. <u>आरक्षणः–</u>

(i) ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नही करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास, बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना होगा :

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र,

(b) स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र,

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य है।

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx

216

(a) परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र,

पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र तथा परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र काउंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगें एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा ।

<u>आरक्षण कोटि</u>

क्र0 सं0	आरक्षित कोटि
1	अनुसूचित जाति (SC)
2	अनुसूचित जनजाति (ST)
3	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)
4	पिछड़ा वर्ग (BC)
5	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथ दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा ।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/~~नतीनी~~ को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यार्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है ।

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx

115

(ix) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी संस्थानों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे ।

नोट :– अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगें, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

आवेदन की प्राप्तिः– आवेदन का लिंक लघु जल संसाधन विभाग के वेबसाइट http://minorirrigation.bihar.gov.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे।

online आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक–31.1.2020 तक submit किये जायेगें ।

संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि के कार्यान्नुभव का विनिश्चय विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ–डेट की अवधि दिनांक–1.1.2020 तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी ।

online आवेदन के उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगें।

नोट :– विभाग विज्ञापन एवं शर्तों को संशोधित/रद्द करने का सर्वाधिकार रखता हैं ।

जितेन्द्र कुमार चौबे	राजीव कु0 झा	गीता सिंह	कुमार अरूण प्रकाश	अमृत लाल मीणा 6/12/19
सहायक	प्र0 पदा0	उप सचिव	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

d:\subodh\choubey jee\samvida advt.docx